**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 4455**

**उत्तर देने की तारीख : 19.03.2026**

**एमएसएमई क्षेत्र में ऋण की मांग**

**4455. श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में औपचारिक ऋण तक पहुंच केवल चौदह प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत ग्यारह वर्षों के दौरान वर्ष-वार एमएसएमई क्षेत्र में ऐसे ऋण की कुल मांग का ब्यौरा क्या है जिसे पूरा नहीं किया जा सका है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत 11 वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अग्रिम बकाया में 166.17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की है, जो कि निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | वित्त वर्ष | बकाया अग्रिम (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1. | मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार | 12,02,498 |
| 2. | मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार | 12,19,962 |
| 3. | मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार | 13,02,900 |
| 4. | मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार | 14,14,668 |
| 5. | मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार | 16,88,867 |
| 6. | मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार | 16,97,836 |
| 7. | मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार | 18,45,188 |
| 8 | मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार | 20,44,788 |
| 9. | मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार | 23,92,319 |
| 10. | मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार | 28,21,477 |
| 11. | मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार | 32,00,690 |
| स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता क्षेत्र रिटर्न (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर;) | | |

सरकार ने देश भर में एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने और वित्तीय दबाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

i. एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ताकि सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा बिना संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के नए एमएसई के साथ-साथ मौजूदा एमएसई को दिए गए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। योजना के तहत गारंटी कवरेज की सीमा 10 करोड़ रुपए है।

ii. एमएसएमई में पूंजी निवेश के रूप में 50,000 करोड़ रुपए के समावेशन के साथ आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है, जिसमें भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए और निजी पूंजी/उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है।

iii. नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए क्रमश: 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

iv. पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इस योजना में अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ 3 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण का प्रावधान शामिल है।

v. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों द्वारा 20 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को दिनांक 08.04.2015 को शुरु किया गया था। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास छोटे व्यवसाय उद्यम के लिए एक व्यवसाय योजना है, वह कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है।

vi. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर निर्देश - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण दिनांक 24 जुलाई, 2017 के पैरा 4.1 (क) के संदर्भ में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋण के मामले में कोलेटरल सुरक्षा स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 9 फरवरी 2026 के परिपत्र के अनुसार, यह सीमा दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हो गई है।

******